अत्यावश्यक

लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 एवं विधान सभा का उप निर्वाचन, 2019

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (बैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल / स्पीड पोस्ट

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांकः एम०–1–005 / 2019– 1647 पटना, दिनांक 18 मार्च, 2019 ई0।

प्रेषक,

प्रवीण कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव–सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में,

श्री राकेश कुमार,
अवर सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली– 110001.

विषयः– **बिहार विधान सभा का उप निर्वाचन, 2019 – 237–नवादा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन से संबंधित बिहार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की संशोधित प्रति का प्रेषण।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक 100 / पूर्व नअु.–1 / बिहार–वि.स. / 1 / 2019 दिनांक 15.03.2019.

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में बिहार विधान सभा का उप निर्वाचन, 2019 के 237–नवादा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन बिहार राजपत्र के दिनांक 18.03.2019 के असाधारण अंक में कर दिया गया है। राजपत्र की 03 (तीन) प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाये।

अनु० :– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(प्रवीण कुमार गुप्ता) 18/3/19
संयुक्त सचिव –सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांकः– एम०–1–005 / 2019– 1647 पटना, दिनांक 18 मार्च, 2019 ई0।

प्रतिलिपिः– श्री ए०के० पाठक, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को राजपत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथा उपर्युक्त।

(प्रवीण कुमार गुप्ता) 18/3/19
संयुक्त सचिव –सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांकः– एम०–1–005 / 2019– 1647 पटना, दिनांक 18 मार्च, 2019 ई0।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया / जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह–जिला पदाधिकारी, नवादा / निर्वाची पदाधिकारी –सह–अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा को राजपत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथा उपर्युक्त।

(प्रवीण कुमार गुप्ता) 18/3/19
संयुक्त सचिव –सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांकः– एम०–1–005 / 2019– 1647 पटना, दिनांक 18 मार्च, 2019 ई0।

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, बिहार / अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को राजपत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथा उपर्युक्त।

(प्रवीण कुमार गुप्ता) 18/3/19
संयुक्त सचिव –सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 फाल्गुन 1940 (श0)
(सं0 पटना 430) पटना, सोमवार, 18 मार्च 2019

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना
18 मार्च 2019

सं0 एम–1–005/2019–15— बिहार विधान सभा, 2019 के उप निर्वाचन के अवसर पर 237–नवादा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–100/पूर्व अनु.–1/बिहार–वि.स./1/2019 दिनांक 18.03.2019 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
प्रवीण कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 / 18 मार्च 2019 / 27 फाल्गुन, 1940 (शक)

सं0 100 पूर्व–अनु0–1 / बिहार–वि.स. / 1 / 2019—यतः बिहार राज्य की विधान सभा में **237– नवादा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित **श्री राजबल्लभ प्रसाद** को संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(ङ) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत निरर्हत किये जाने के कारण दिनांक 15 दिसम्बर, 2018 से एक स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप निर्वाचन कराया जाना है,

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा:–

(अ) बिहार राज्य से उक्त **237–नवादा** विधान सभा निर्वाचन क्ष से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 27 मई, 2019 (सोमवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:–

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	25 मार्च, 2019 (सोमवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	26 मार्च, 2019 (मंगलवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	28 मार्च, 2019 (बृहस्पतिवार)
(घ)	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा:	11 अप्रैल, 2019 (बृहस्पतिवार)
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	27 मई, 2019 (सोमवार)

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
आनन्द कुमार पाठक,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Notification

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/
Dated 18th March 2019/ 28 Phalguna 1940 (SAKA)

No. 100/ES-I/BR-LA/2019—WHEREAS, the seat of **Sh. Rajballabh Prasad,** in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from **237-Nawada** Assembly Constituency in the State, has become vacant on **15th December, 2018** due to disqualification under the provision laid down under Article 191(1)(e) of the Constitution of India read with Section 8 of the Representation of the People Act, 1951, and;

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of section 150 and section 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby-

A. Calls upon the said **237-Nawada** Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 27th May, 2019 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State

B appoints, with respect to the said election:-

(a) the 25th march, 2019 (Monday), as the last date for making nominations;

(b) the 26th march, 2019 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 28th march, 2019 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 11th April 2019 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 27th May, 2019 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

C fixes the hours from 7.00 A.M. To 6.00 P.M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By Order,

A. K. PATHAK,
SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 430-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in